

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. NO. 60 OF 2026

**IN THE MATTER OF:**

Ashwani Kumar

...Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

**INDEX**

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 3, Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1 – 3
2.	<b>ANNEXURE R3/1</b> A true copy of the letter dated 21.02.2026 to the Applicant and M/s Kesari Brick Field.	4
3	<b>ANNEXURE R3/2</b> A true copy of the Minutes of Meeting dated 24.02.2026.	5 – 6
4.	<b>ANNEXURE R3/3</b> A true copy of the Joint Inspection Report dated 20.03.2026.	7 – 24
5.	<b>ANNEXURE R3/4</b> A true copy of the Letter dated 25.03.2026 issued to M/s Kesari Brick Field.	25

**RESPONDENT NO. 3  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
THROUGH**

**AMIT SHUKLA, ADV.**

D-54, Sector-48, Noida

Ph. No. 9999933220; 9999333220

Email: [amit.shukla@lexweb.in](mailto:amit.shukla@lexweb.in)

Date: 31.03.2026

Place: Lucknow

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 60 OF 2026

**IN THE MATTER OF:**

Ashwani Kumar

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3,  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**


I, J.P Maurya, S/o Sh. Darbari Lal Maurya aged about 56 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 05.02.2026 directed as under:

8. *In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Lucknow and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action. UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

*[Handwritten signature]*



3. The Respondent No . 3 has vide its letter dated 21.02.2026 apprised the Applicant and the Project Proponent about the meeting scheduled for 24.02.2026 to hear their grievances and objections.

A true copy of the letter dated 21.02.2026 to the Applicant and M/s Kesari Brick Field is annexed herewith and marked as **Annexure R3/1.**


4. The meeting was held with the Applicant and the Project Proponent on 24.02.2026. A true copy of the Minutes of Meeting dated 24.02.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/2.**

5. The joint inspection of the site was carried out on 20.03.2026 by the team constituting Asst. Environment Engineer, UPPCB, Regional Officer, UPPCB and ADM (Admin.), Lucknow.

A true copy of the Joint Inspection Report dated 20.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/3.**

6. That in view of the non-compliances noted in the inspection report, the Respondent issued a letter dated 25.03.2026 to the Project Proponent passing directions for the compliance of the deficiencies noted in the compliance Report.

A true copy of the letter dated 25.03.2026 issued to M/s Kesari Brick Field is annexed herewith and marked as **Annexure R3/4.**



  
**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

Verified on this the 30<sup>th</sup> day of March, 2026 at Lucknow.

**DEPONENT**

Sworn and Verified  
before me  
NOORJAHAN  
Advocate & Notary  
Civil Court, Lucknow  
Registration No. 10943/18

I know & Identify the deponent / Executant  
who has signed / put his T.L. before me

~~S. J. Iqbal Advocate~~  
Reg No 5043/1999  
H/V



**Annexure-R3/1**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW**  
 क्षेत्रीय कार्यालय  
 Regional Office

सन्दर्भ सं०- 1611/0.A.No-60/2026

दिनांक 21/02/2026

सेवा में,

**मा० एन०जी०टी प्रकरण**

1. श्री अश्वनी कुमार,  
वार्ड न०-7, ग्राम-मामपुर बाना, पोस्ट-बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2. श्री बचान सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री रघुराज सिंह चौहान,  
प्र०-मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब,  
लखनऊ।

एतद्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, उक्त पारित आदेश में आवेदक एवं परियोजनो प्रतिनिधि के साथ शिकायती बिन्दुओं पर सुनवाई किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा दिनांक 24/02/2026 को अपरान्ह 5:00 बजे आनलाइन सुनवाई नियत की गयी है, जिसका यू०आर०एल० पृथक से सूचित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के अनुपालन में आवेदक एवं परियोजना प्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि उक्त सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि एवं समय दिनांक 24/02/2026 को अपरान्ह 5:00 बजे आनलाइन उपस्थित होना चाहें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण पर सुनवाई कर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(जे०पी० मौर्य)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सत्य विजय, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करे।



क्षेत्रीय अधिकारी

### Annexure-R3/2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के अनुपालन में दिनांक 24/02/2026 को ईट भट्टा स्वामी व वादी के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी सुनवाई का कार्यवृत्त:-

उपरोक्त विषयक संदर्भित ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....6. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) District Magistrate, Lucknow; (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary; (4) M/s Kesri Brick Field through proprietor Mr. Bachan Singh Chauhan S/o Lt. Shri Raghuraj Singh Chauhan, Village Mampur Bana, Nagar Panchayat and Tehsil Bakshi Ka Talab, District Lucknow who are impleaded as respondents no. 1 to 4.

7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 4 along with copy of the original application and documents attached with the same.

8. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Lucknow and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action. UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

9. Responses by respondents no. 1 to 4 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

10. List on 01.04.2026 for further consideration....."


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 24/02/2026 को सांय 5:00 बजे अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), लखनऊ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दोनो पक्षों की सुनवाई की गयी, जो निम्नानुसार है:-

- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सुनवाई में आनलाइन उपस्थित समस्त जनों का स्वागत करते हुये अपर जिलाधिकारी, प्रशासन की अनुमति से सुनवाई प्रारम्भ की गयी।
- अपर जिलाधिकारी, प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया।
- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या-60/2026 में पारित आदेश से सभी को अवगत कराया गया कि मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ के विरुद्ध मा0 अधिकरण में ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य दाखिल किया गया है। जिसमें शिकायत की गयी है कि ईट भट्टा नियमानुसार नहीं चल रहा है। उनके द्वारा श्री अश्वनी कुमार से अनुरोध किया गया कि कृपया ईट भट्टे के संचालन से क्या-क्या शिकायत है, अवगत कराने का कष्ट करे।
- श्री अश्वनी कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ईट भट्टा आबादी में स्थित है तथा समीप 02 स्कूल स्थित है, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं और भारी वाहनों से उनके जान-माल का खतरा बना रहता है।


-2-

ईट भट्टे की चिमनी पर लाइट डिडक्टर स्थापित नहीं है, जिससे मजदूरों को बिजली का खतरा बना रहता है तथा न तो चिमनी पर सीढ़ी है और न ही ग्रीन बेल्ट है, न ही जिग-जैग है, जिससे इन सब चीजों से जनमानस को नुकसान हो रहा है।

- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ईट भट्टे के संचालन से उक्त के अतिरिक्त अन्य परेशानियों से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया तथा ईट भट्टे के स्थापना वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी।
- श्री अश्वनी कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे के संचालन से यही सभी समस्याएं हैं तथा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ईट भट्टा वर्ष 1998 से स्थापित है। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक रिपोर्ट चाही गयी थी, ईट भट्टे की चिमनी से जनित धुएं को चेक किया गया है और उसमें कोई कमी नहीं पायी गयी है तथा अवगत कराना है कि जब चिमनी पर सीढ़ी स्थापित नहीं है, तो जांच कैसे की गयी।
- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ईट भट्टे के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति गठित की गयी है, समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान शिकायती तथ्यों की जांच की जायेगी, तदोपरान्त अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा ईट भट्टा स्वामी को अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया।
- ईट भट्टा स्वामी श्री बचान सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता के समस्त कथन असत्य व मिथ्या हैं, ईट भट्टे की चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन की जांच हेतु सीढ़ी, पोर्टहोल व प्लेटफार्म स्थापित है, जिसकी अभी जांच करायी जा सकती है। ईट भट्टे को 02 वर्ष पूर्व से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जिग-जैग पद्धति पर परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्टा के समीप उनकी स्वयं की जमीन है तथा उक्त भूमि पर खेती का कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों की फसलों को उगाया जाता है ईट भट्टे के संचालन से कोई भी फसल प्रभावित नहीं है।
- श्री अश्वनी कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना दी गयी है, जिसके साथ वाह्य मानीटरिंग एजेन्सी मैसर्स फोटॉन लैबोरेटरीज प्रा0लि0 की वर्ष 2023 की चिमनी जांच रिपोर्ट संलग्न की गयी है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा 542 mg/Nm<sup>3</sup> अंकित है, जबकि भट्टे के धुएं में उक्त की मात्रा 250 mg/Nm<sup>3</sup> निर्धारित है। ईट भट्टे में बाउण्ड्री वाल नहीं है तथा ईट भट्टा दोनों गांवों की आबादी के मध्य स्थित है।
- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण पर समिति गठित है, संयुक्त जांच कर वास्तविक आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- श्री बचान सिंह द्वारा कहा गया कि ईट भट्टा दोनों गांवों के मध्य सड़क किनारे स्थित है न कि आबादी के मध्य। इसकी जांच करा ली जाये।
- अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी को मीटिंग समाप्त किये जाने हेतु कहा गया।
- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा विडियों कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये मीटिंग समापन की घोषणा की गयी।

  
25/10/23

(जे0पी0 मौर्य)  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

  
25/10/23

(डॉ0 शुभो सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
लखनऊ।

### Annexure-R3/3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ की संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त विषयक संदर्भित ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....6. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) District Magistrate, Lucknow; (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary; (4) M/s Kesri Brick Field through proprietor Mr. Bachan Singh Chauhan S/o Lt. Shri Raghuraj Singh Chauhan, Village Mampur Bana, Nagar Panchayat and Tehsil Bakshi Ka Talab, District Lucknow who are impleaded as respondents no. 1 to 4.

7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 4 along with copy of the original application and documents attached with the same.

8. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Lucknow and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action. UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

9. Responses by respondents no. 1 to 4 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

10. List on 01.04.2026 for further consideration....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ को नामित किया गया है, तत्कम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/02/2026 को सांय 5:00 बजे को सुनवाई की गयी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष रखे गये, सुनवाई का कार्यवृत्त संलग्न है (संलग्नक-1)।



अग्रेतर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20/03/2026 को अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	सर्वेक्षण बिन्दु	आख्या
1	ईट भट्टे का नाम व पता	मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2	निरीक्षण दिनांक	20/03/2026
3	निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि	श्री बचान सिंह, ईट भट्टा स्वामी।
4	ईट भट्टे का स्थापना वर्ष	कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टा दिसम्बर, 1997 से स्थापित है।
5	राज्य बोर्ड से प्रथम बार सहमति की स्थिति	कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत ईट भट्टे को वर्ष-1998 में पूर्व नाम मैसर्स नीलम ब्रिक फील्ड, मामपुर बाना, बक्शी का तालाब, लखनऊ के नाम से प्रथम बार सहमति वायु निर्गत की गयी है।
6	वर्तमान में राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल/वायु की स्थिति	वर्तमान में ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, सीतापुर रोड, लखनऊ के नाम से संचालित है तथा इस कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या-193258/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक

		11/10/2023 के माध्यम से निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31/07/2028 तक है।
7	ईट भट्ठा स्थापना स्थल के सम्बन्ध में विवरण	कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत ईट भट्ठा दिसम्बर, 1997 से स्थापित/संचालित है। अतएव ईट भट्ठे की स्थापना स्थल के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की उपविधियां लागू हैं। ईट भट्ठा अवस्थापना मापदण्ड नियमावली, 2012 द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे के स्थापना स्थल हेतु लागू नहीं रहेगी।
8	ईट भट्ठे की संचालन की स्थिति	संचालनरत पाया गया।
9	ईट भट्ठे की भौगोलिक स्थिति	अक्षांश-26.997371 देशान्तर-80.926736
10	ईट भट्ठे का प्रकार (FCBTK/Zig-Zag)	ईट भट्ठा जिग-जैग पद्धति पर परिवर्तित कर संचालित है।
11	चिमनी की ऊंचाई	ईट भट्ठे की चिमनी भू तल से लगभग 135 फीट ऊंची स्थापित है।
12	चिमनी के गैसीय उत्सर्जकों की जांच हेतु व्यवस्था का विवरण	ईट भट्ठे की चिमनी पर पोर्ट होल एवं लैडर स्थापित है तथा ईट भट्ठे की चिमनी पर तड़ित अवरोधक (त्रिशूल) स्थापित है।
13	ईंधन का प्रकार व मात्रा	कोयला-1300 किग्रा0/दिन एवं मस्टर्ड हस्क-700 किग्रा0/दिन
14	ईट भट्ठे की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों की नवीनतम अनुश्रवण आख्या का विवरण	केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ की टीम द्वारा दिनांक 18/03/2026 को ईट भट्ठे की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों की जांच की गयी, प्राप्त अनुश्रवण आख्यानुसार पार्टिकुलेट मैटर 164.5 mg/Nm <sup>3</sup> पायी गयी, जोकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 द्वारा निर्धारित मानक(250 mg/Nm <sup>3</sup> ) के अनुरूप है, अनुश्रवण आख्या की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
15	ईट भट्ठे के आस-पास की स्थिति	वर्ष-2010 के गूगल अर्थ मैप के अनुसार ईट भट्ठा स्थल के 200 मी0 की त्रिज्या की दूरी में किसी भी प्रकार की आबादी, स्कूल एवं सार्वजनिक स्थल इत्यादि दृष्टिगोचित नहीं है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के आस-पास की स्थिति का विवरण- <ul style="list-style-type: none"> <li>• ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब-दक्षिण दिशा में लगभग 170 मी0 की दूरी पर सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर स्थित है, तदोपरान्त ईट भट्ठे की चिमनी से लगभग 200 मी0 की दूरी पर मजरा बाना की मुख्य आबादी प्रारम्भ हो रही है।</li> <li>• ईट भट्ठे की चिमनी के पश्चिम दिशा में लगभग 200 मी0 की दूरी पर ग्राम-मामपुर की मुख्य आबादी प्रारम्भ हो रही है, तदोपरान्त प्राथमिक विद्यालय, मन्दिर व अन्य संस्थान स्थित है।</li> <li>• ईट भट्ठे की चिमनी के उत्तर व दक्षिण दिशा में लगभग 500 मी0 की दूरी पर रिक्त/कृषि भूमि स्थित है।</li> <li>• निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक-3)।</li> </ul>
16	सहमति शर्तों के अनुपालन की स्थिति	प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, सीतापुर रोड, लखनऊ के नाम से संचालित है तथा इस कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या-193258/UppCB/Lucknow (UppCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक

		31/07/2028 तक है। सहमति आदेश में निहित विशिष्ट शर्तों की अनुपालन की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:-
17	अन्य विवरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय उपजिलाधिकारी, बक्शी का तालाब, लखनऊ के पत्रांक संख्या-308/एस0टी0/बी0के0टी0/2026 दिनांक 24/03/2026 द्वारा सन्दर्भित ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या-300, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत व तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ वर्तमान खतौनी के अनुसार खसरा संख्या-300/3.3140 हे0 जय कुमार चन्दानी/गोपीनाथ चन्दानी, 18वीं, श्रृंगार नगर, आलबाग, लखनऊ के नाम से दर्ज है, जोकि सम्बन्धित धारा-80 उ0प्र0 राज्य संहिता, 2006 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, बक्शी का तालाब के न्यायालय में कोई वाद लम्बित/निर्णीत नहीं है (संलग्नक-4)।</li> <li>श्री जय कुमार चन्दानी पुत्र श्री गोपीनाथ चन्दानी द्वारा इकरारनामा के माध्यम से श्री बचान सिंह पुत्र स्व0 रघुराज सिंह, निवासी ग्राम-मामपुर बाना, बक्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ को ईट भट्टा मयदपतर व सर्वेन्ट क्वाटर, पुख्तामय रास्ता व नरली व तामीरशुदा बर आरजी खसरा संख्या-300 तादादी लगभग साढे चार बीघा बाकै मौजा ग्राम-मामपुर बाना, बक्शी का तालाब, लखनऊ को किराये पर दिया गया है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 01/08/2023 से दिनांक 31/07/2028 तक है (संलग्नक-5)।</li> <li>ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा वर्ष-2025-26 हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 का खनन अनुज्ञा पत्र जमा किया गया है, जिसकी वैधता अवधि 30/09/2026 तक है (संलग्नक-6)।</li> <li>ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा नगर पंचायत, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रपत्र संख्या-5 का प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है(संलग्नक-7)।</li> </ul>


Sr. No.	Specific Condition	Condition Compliance Status
1	This consent is being issued to M/S KESHARI BRICK FIELD, Village- Mampur Bana, Sitapur Raod, Lucknow for the production of Bricks 25000 no. /day.	Complied
2	Brick kiln should comply with the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, the water (prevention and control of pollution) Act 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended,	Stack monitoring was conducted by UPPCB on 18.03.2026. As per the monitoring report, the Particulate Matter (PM) concentration was found to be 164.5 mg/Nm <sup>3</sup> , which is within the prescribed limit of 250 mg/Nm <sup>3</sup> as per the MoEF&CC notification dated 22.02.2022. The monitoring report is attached herewith.
3	Brick kiln shall submit the Air quality & process emission monitoring report within one month after starting the production.	Monitoring report is as per norms .
4	Brick kiln shall ensure to properly operate and maintain the Air pollution control system i.e. "Gravitational settling chamber" in such a way that air	Brick kiln has been converted into Zig-Zag technology.


 


	quality shall be within the prescribed norms.	
5	Audited industrial balance sheet or C.A. certificate of total investment (Net fixed assets+ current assets- current liabilities) should be submitted in this office.	Submitted
6	Brick kiln shall ensure to submit the Environment statement within time frame (up to 30 September of each year).	Not Submitted
7	The Brick kiln shall ensure to dispose of the Fly ash properly.	Complied
8	Brick kiln shall use good quality pulverized coal, wood only for firing. This consent shall be deemed void if any unauthorized/restricted fuel like rubber/scrap/tyre etc. is found used in the process.	Complied
9	The Brick kiln shall comply with the directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board.	Complied
10	The Brick kiln shall ensure to submit the license obtained from Jila Panchayat and shall follow the license conditions.	Complied
11	The Brick kiln shall install a water sprinkler to suppress dust during loading and unloading the bricks.	As per the representative of the brick kiln, regular water sprinkling is being carried out around the brick kiln through a flexible pipe.
12	Brick kiln shall develop green belt as per the protocol attached with the UPPCB office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 which is available on UPPCB website. The plantation of saplings should be completed within 04 months' time and action taken report shall be submitted to this office. Failing which consent would be revoked without serving any notice to the Brick kiln.	During inspection Plantation has been found near brick kiln. Photograph is attached.
13	The Brick kiln shall ensure to comply with the provisions of The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rule 2012.	Stack (height, porthole, plate farm, ladder, stair) is installed. fuel, emission quality, lighting conductor are found as per norms. Brick kiln has been converted into Zig-Zag technology. Permanent Boundary wall is not found around the brick kiln. But storage of bricks in the shape of Boundary wall has been found. Proper paving work has not been found around the brick kiln to minimize the dust emissions from the Brick Kiln operations.
14	In compliance of direction issued by Central Pollution Control Board vide	

	letter no-4877-4911, dated 27-06-2017 to all State following conditions are also applicable on the Brick kiln :- a) Provide status on conversion of natural draft to induced draft Brick kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting). b) All the moving area around the main Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations. c) Ensure that fine dust not to accumulate all around the Brick Kiln.	Complied  proper paving work has not been found around the brick kiln to minimize the dust emissions from the Brick Kiln operations.  Complied
15	The Brick kiln shall ensure to comply with all the conditions imposed in Environmental Clearance and the copy of E.C. shall be submitted to this office.	Not submitted
16	If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring compliance and after revocation of the closure order, the CTO will automatically be effective from the date of issuance of closure order revocation, with additional conditions mentioned in the closure revocation order	As per office record not any Clouser direction issued to this brick kiln till date.
17	This CTO is being issued as per the provisions of the water (Prevention and control of water pollution) Act 1974 and the Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981.	Common consent has been issued on dated 11.10.2023 and valid upto 31.07.2028.
18	All the necessary NOCs, Permissions, Licenses, etc., shall be taken from all concerned statutory authorities.	As per representative of brick kiln all necessary NOCs, Permissions, Licenses has obtained by brick kiln.
19	Brick kiln obtain the NOC from UP Groundwater Authority for groundwater abstraction and submit it to the Board.	Not submitted
20	Brick kiln shall submit GST registration within one month.	Submitted
22	Brick kiln should comply the MoEF & CC Notification dated 22-02-2022.	Complied

उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०-६०/२०२६ अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५/०२/२०२६ के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टे की संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर प्रस्तुत है।

  
(सत्य चिजय) 24/03/26  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

  
(जे०पी० मौर्य)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

  
(डॉ० शुभी सिंह)  
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
लखनऊ



**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

**Stack Emission Test Report**

Ref No. 36305857/CENTRAL/2026

Date: 20/03/2026

- 1- Name & Address of Industry: KESHARI BRICK FIELD, Village- Mampur Bana, Sitapur Raod, Lucknow
- 2- Sample Collected By: Aditya Kumar, MA; Mohit Kumar, MA & Manoj Verma, SA
- 3- Date of Monitoring: 18/03/2026
- 4- Source of Sampling: Stack
- 5- Stack attached to: Brick klin
- 6- Stack Height: 135 Feet
- 7- Total No. of Boiler: 13 Chamber
- 8- Capacity of Boiler: -
- 9- Fuel used: Coal + Musturd Husk
- 10- Quantity of Fuel used: 1300 kg Coal + 700 Kg Agro waste per day
- 11- Flue Gas Velocity: 6.06 m/s
- 12- Air Pollution Control Device: Stack
- 13- Other remarks (if any): Stack monitoring conducted in the presence of Shri Satyavijay, AEE & Shri P K Mishra, SA from RO, Lucknow
- 14- Further details of sample location and Test methods followed are appended overleaf:

Sr no.	Parameter	Unit	Result	Standards
1	Particulate Matter	mg/Nm <sup>3</sup>	164.5	250

**Note:** The results in the Test Report relate only to the items tested. The Report shall not be reproduced-except in Full, without the written permission of laboratory.

Analysed by-  
 [Manoj Verma SA]


Authorized Signatory  
 Samrendra Singh  
 a Singh  
 Samrendra Singh ASO

Digitally signed by  
 Samrendra Singh  
 Date: 2026.03.20  
 12:39:59 +05'30'

IMRAN  
 AHMAD KHAN  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory

Digitally signed by  
 IMRAN AHMAD KHAN  
 Date: 2026.03.20  
 12:40:57 +05'30'

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20/03/2026 के समय लिये गये फोटोग्राफ-



कार्यालय उप जिलाधिकारी बख्शी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक 302 / एसटी0 / बी0के0टी0 / 2026

दिनांक 24 मार्च, 2026

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0-60/2026, अश्विनी कुमार बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप द्वारा संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या-300, ग्राम मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के पेशकार/राजस्व अहलमद से आख्या प्राप्त की गयी। आख्या के अनुसार न्यायालय में आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर खसरा संख्या-300, ग्राम मामपुर बाना से सम्बन्धित धारा-80, उ0प्र0रा0 संहिता-2006 का वाद लम्बित/निर्णीत नहीं है। वर्तमान खतौनी के अनुसार खसरा संख्या-300/3.3140 हे0 जयकुमार चन्दानी/गोपीनाथ चन्दानी नि0 18वीं0 सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ के नाम विवरण खाते में दर्ज है।

तदनुसार रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्नक-आख्या की प्रति।

24/03/26  
उप जिलाधिकारी,  
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक संख्या-1758/रि० याचिका-262/26

दिनांक: 24-2-26

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,  
बक्शी का तालाब,  
लखनऊ।

**विषय:**—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक संदर्भित ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम—मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील—बक्शी का तालाब, लखनऊ के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 की प्रति जोकि आपको कार्यालय के क्रमांक संख्या-2062/एडीएम/ई/2026 दिनांक 11/02/2026 द्वारा प्रेषित की गयी है का सन्दर्भ ग्रहण करें, उक्त ईट भट्टा खसरा संख्या-300, ग्राम—मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील—बक्शी का तालाब, लखनऊ पर स्थापित होना सूचित है। उक्त के क्रम में वादी द्वारा दिनांक 06/03/2026 को समिति की जांच हेतु अन्य जांच बिन्दु सम्मिलित किये जाने हेतु विवरण प्रेषित किया गया है, जिसका बिन्दु संख्या-8 तहसील से सम्बन्धित है, जोकि निम्नानुसार है—

**Land Use and Revenue Compliance**

- Whether land use conversion has been lawfully obtained.
- Whether agricultural land has been converted without due permission.

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त बिन्दु पर तहसील की आख्या अविलम्ब प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिशपथ पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किया जा सके।

(डॉ० शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
लखनऊ।

**प्रतिलिपि:**—जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24.03.26

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
लखनऊ।

महोदय,

• मायालय में - आरु सी.सी.एम.एस.  
 पोर्टल पर तबारा संख्या- 300 ग्राम - मामपुर  
 बाजा से संबंधित छाता-80 अ.प्र.ता संहिता 2006  
 का वाद लेबित/निर्णित नहीं है।

~~RE~~  
 R.A  
 SAM  
 (BKT)  
 24/3/26

~~RE~~  
 Reorder  
 24/3/26  
 SAM (BKT)

संबन्धित भूमि का विवरण :

\*भूमि का प्रकार: ZA

\*भू-खण्डों की संख्या: 1

वादग्रस्त भू-खण्ड क्रमांक 2 का विवरण

\*जनपद: लखनऊ

\*तहसील: बख्शी का ताताब

\*मण्डल: लखनऊ

\*परगना.

महोना

\*ग्राम:

मामपुर बाना

\*गाटा संख्या

\*खतौनी खाता वि०:

खाता सं० :0015...

वादग्रस्त भू-खण्ड क्रमांक	राजस्व ग्राम/कोड	गाटा संख्या	गाटा यूनीक कोड	क्षेत्रफल	खतौनी खाता संख्या	हटाई
1	मामपुर बाना / 219102	360	219102-0300-000012	3.3140	00157	

भूखंड - खतौनी  
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

### उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

24/March/2026 03:37:42 PM

जनपद : लखनऊ

ग्राम कोड : 219102

तहसील : बखशी का तालाब

ग्राम : मामपुर बाना

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता संख्या : 00157

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
300	1) जयकुमार चन्दानी / गोपीनाथ चन्दानी / नि. 18वी० सिंगार नगर आलमबाग लखनऊ		1394 फ०	300 (2191020300000012)	3.3140			17.91

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : तीन दशमलव तीन एक चार शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : एक सात दशमलव नौ एक रुपये

परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)



-2-

दिनांक 01-08-2023 से दिनांक 31-07-2028 तक पाँच वर्ष अवधि रू-  
40,00,000/- ।

लिहाजा उभय पक्ष बजरिये तहरीर हाजा पाबन्द शरायत जैल के होते है:-

1- यह कि उपरोक्त अवधि का किराया बजरिये चेक प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से प्राप्त हो गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) रूपया-7,00,000/- जरिये चेक संख्या-062640 बैंक ऑफ इंडिया शाखा-  
बी0के0टी0 लखनऊ।

रूपया-7,50,000/- जरिये चेक संख्या-062641 बैंक ऑफ इंडिया शाखा-  
बी0के0टी0 लखनऊ।

(ii) रूपया-8,00,000/- जरिये चेक संख्या-062642 बैंक ऑफ इंडिया शाखा-  
बी0के0टी0 लखनऊ।

(iii) रूपया-8,50,000/- जरिये चेक संख्या-062643 बैंक ऑफ इंडिया शाखा-  
बी0के0टी0 लखनऊ।

(iv) रूपया-9,00,000/- जरिये चेक संख्या-062644 बैंक ऑफ इंडिया शाखा-  
बी0के0टी0 लखनऊ।

2- यह कि इकरारनामों की अवधि दिनांक 01-08-2023 से दिनांक 31-07-2028  
पाँच वर्ष तक रहेगी। उभय पक्ष आपसी सहमति से किरायेदारी अवधि बढ़ा  
सकते हैं।

Kumar Singh  
Advocate

NOTARY  
(U.P.) INDIA

11/01/2023

Jaishe

बन्धान सिंह







भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश  
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Application No. - 313225260013



Brick Kiln Certificate

This is to certify that **BACHAN SINGH** resident of- Village- Mampur Bana, B K T, Lucknow. GSTN - 09KDXPS2233D1ZZ is Proprietor/Partner of Brick kiln **KESHARI BRICK FIELD** Located at District - Lucknow, Tehsil - Bakshi Ka Talab, Village - Mampur bana, Gata - 300 Number of Paya- 12, Brick Kiln Type- ZigZag has submitted amount 226532 as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session 2025-2026 by challan number **AKD250306026** Dated - 14/10/2025

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil. As per Government of UP notification dated 30.10.2023, the amended rule 3(1) of UPMCCR-2021 is as follows "For the purpose of the rule digging or extraction of ordinary clay, ordinary earth for making bricks and pottery shall not be treated as mining operation, provided that pit created by such digging or extraction shall not be deeper then two meters"

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Chak Bibipur	Ram Aftar, Dinesh Kumar, Ram Kumar	32, 33, 36	0.080, 0.551, 0.081
2	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Khasrawan	Ramesh, Jagdish Prasad	305, 344	0.174, 0.506
3	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Bibipur	Ram Naresh, Ram Prakash Adi	373, 319	0.137, 0.028
4	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Bibipur	Bharat, Shiv Adhar, Maya Devi	22, 20, 613	0.076, 0.338, 0.168
5	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Khasrawan	Ram Gopal, Munni Devi	284, 301	0.501, 0.490
6	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Devari Rokhara	Shiv Bux	1097	0.178
7	Lucknow	Bakshi Ka Talab	Daulatpur	Ram Bahadur	287	0.247

Issuing Date : 14/10/2025

Valid Till : 30/09/2026





**Anneuxre-R3/4**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW**

क्षेत्रीय कार्यालय  
Regional Office

सन्दर्भ सं०

Ref. No. ....1763/सहा 0959/26

दिनांक

Dated 25-3-26

सेवा में,

मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड,  
द्वारा श्री बचान सिंह चौहान (प्रोपराइटर),  
ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब,  
लखनऊ।

मा०एन०जी०टी० प्रकरण/पंजीकृत डाक

**विषय:-**जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 एवं वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21/22 के अन्तर्गत जारी सहमति जल/वायु शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश ओ०ए०-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/02/2026 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

- ".....6. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) District Magistrate, Lucknow; (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary; (4) M/s Kesri Brick Field through proprietor Mr. Bachan Singh Chauhan S/o Lt. Shri Raghuraj Singh Chauhan, Village Mampur Bana, Nagar Panchayat and Tehsil Bakshi Ka Talab, District Lucknow who are impleaded as respondents no. 1 to 4.
7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 4 along with copy of the original application and documents attached with the same.
8. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UPPCB and District Magistrate, Lucknow and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action. UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
9. Responses by respondents no. 1 to 4 and report of the Joint Committee may be filed within two months.
10. List on 01.04.2026 for further consideration....."

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ईट भट्टा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मामपुर बाना, नगर पंचायत एवं तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20/03/2026 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में इस कार्यालय द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांक 11/10/2023 की निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं पाया गया-

क्र०सं०	शर्त संख्या/शर्त	निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य
1	6. Brick kiln shall ensure to submit the Environment statement within time frame (up to 30 September of each year).	Not submitted
2	13. The Brick kiln shall ensure to comply with the provisions of The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rule 2012.	Permanent Boundary wall is not found around the brick kiln. But storage of bricks in the shape of Boundary wall has been found.
3	14. In compliance of direction issued by Central Pollution Control Board vide letter no-4877-4911, dated 27-06-2017 to all State following conditions are also applicable on the Brick kiln :- b) All the moving area around the main Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.	Proper paving work has not been found around the brick kiln to minimize the dust emissions from the Brick Kiln operations.
4	15. The Brick kiln shall ensure to comply with all the conditions imposed in Environmental Clearance and the copy of E.C. shall be submitted to this office.	Not submitted
5	19. Brick kiln obtain the NOC from UP Groundwater Authority for groundwater abstraction and submit it to the Board.	Not submitted

इस प्रकार ईट भट्टे द्वारा सहमति आदेश दिनांक 11/10/2023 के विशिष्ट शर्त संख्या का समुचित अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षित है कि पत्र प्राप्त से 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु आदेश संख्या-193258/UPPCB/ Lucknow (UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक 11/10/2023 को निरस्त करते हुये बन्दी की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम स्तर/बोर्ड मुख्यालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईट भट्टे का स्वयं का होगा।

भवदीय

(जोपी० मोरी)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।